न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

प्र0न0 33 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 88)   पीठासीन अधिकारी:– डॉ.रवि कुमार गोयल
(R.A.S)

उनवान

1. जयपाल पुत्र श्यामलाल जाति जाट नि0अऊ गेट कस्बा डीग तहसील डीग
2. प्रहलाद सिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाट नि0 रूंधिया मौहल्ला कस्बा डीग तहसील डीग
3. जनको पुत्री श्यामलाल पत्नी रज्जो जाति जाट नि0 लाल कोठी के पास कस्बा डीग हाल आवाद कृपा का नगला तहसील किरावली जिला आगरा(उ.प्र.)

–सायलान

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र पुन्ना जाति लोधा नि0 लोधा पाडा कस्बा डीग तहसील डीग
2. हरी पुत्र पुन्ना जाति लोधा नि0 लोधा पाडा कस्बा डीग तहसील डीग
3. कलुआ पुत्र कुन्दन जाति लोधा नि0 लोधा पाडा कस्बा डीग तहसील डीग

–गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय   दिनांक: 09.07.2024

सायलान द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बरान 267 / 0.13, वाके आवादी डीग तहसील डीग में स्थित है। वर्णित आराजी खसरा नम्बर 267 / 0.13 आवादी डीग की आराजी में वादी संख्या 1 1 / 16 हिस्से पर, वादी संख्या 2 1 / 16 हिस्से पर पर तथा वादी संख्या 3 1 / 16 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा गैर सायलान मीना देवी देवी 1 / 48 हिस्से की शेखर 1 / 48 हिस्से की एवं सोनम 1 / 48 हिस्से की खातेदार काश्तकार है और मौके पर सायलान एवं गैर सायलान का सामलात में कब्जा है। जिसका उपयोग व उपभोग व काश्त सायलान एवं गैर सायलान कर रहे है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 267 / 0.13 से असल गैर सायलान का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। असल गैर सायलान ने पूर्व में उक्त भूमि के सहखातेदार भगवान सिंह, सुन्दर,लोकेन्द्र,सौदान आदि से मौखिक करार के आधार पर भूमि को क्रय किया था और सायलान एवं गैर सायलान ने अपने हिस्से की भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान नहीं किया है और उक्त भूमि में मौके पर विवाद के कारण बबूल के पौधे उत्पन्न हो गये है। उक्त गैर सायलान ने उक्त भूमि पर विना रूपान्तरण कराये बगैर निर्माण

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

कार्य कर लिया है और जबरन नाजायज तरीके से सायलान की हिस्से की भूमि मे अतिक्रमण करने/रास्ता कायम करने/जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 267/0.13, वाके आवादी डीग तहसील डीग में स्थित है पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान की ओर से अधिवक्ता उपस्थित ने अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि वर्णित आराजी में सायलान व तरतीवी प्रति0 का कोई हिस्सा मौके पर शेष नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्सा का मानचन्द पुत्र रामसिंह को जरिये इकरारनामा दिनांक 15.11.2013 को बेचान कर दिया है। गैर सायलान द्वारा आराजी मुतदाविया के काश्तकार सौदान,लोकेन्द्र, सुन्दरलाल, भगवान सिंह से खरीद किया है व उनसे कब्जा मौके पर प्राप्त किया है। गैर सायलान संख्या 01 ने आराजी मुत0 का 1/4 हिस्सा का 388/1300 यानि कुल रकबा का 97/1300 हिस्सा सुन्दरलाल से तथा 1/4 हिस्सा का 276/325 हिस्सा यानि कुल रकबा का 69/1300 हिस्सा भगवान सिंह से जरिये बयनामा क्रय किया है और इसी अनुरूप मौके पर काबिज जायदाद है तथा गैर सायलान सं. 2 ने आराजी मुत0 के खातेदार सुन्दरलाल से 1/4 हिस्से का 1072/1625 हिस्सा यानि कुल रकबा का 268/1625 जरिये बयनामा खरीद किया है और इसी अनुरूप वह आराजी मुत0 पर काबिज जायदाद है,बयनामा गैर सायलान संख्या 01 व 02 की पत्नियों के नाम है जिन्हें प्रकरण हाजा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान **वकील सायलान** ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 267/0.13 से असल गैर सायलान का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। असल गैर सायलान ने पूर्व में उक्त भूमि के सहखातेदार भगवान सिंह, सुन्दर,लोकेन्द्र,सौदान आदि से मौखिक करार के आधार पर भूमि को क्रय किया था और सायलान एवं गैर सायलान ने अपने हिस्से की भूमि को किसी अन्य दीगर व्यक्ति को बेचान नहीं किया है और उक्त भूमि में मौके पर विवाद के कारण बबूल के पौधे उत्पन्न हो गये है। उक्त गैर सायलान ने उक्त भूमि पर विना रूपान्तरण कराये बगैर निर्माण कार्य कर लिया है और जबरन नाजायज तरीके से सायलान की हिस्से की भूमि मे अतिक्रमण करने/रास्ता कायम करने/जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 267/0.13, वाके आवादी डीग तहसील डीग में स्थित है पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश फरमायें।

गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि गैर सायलान द्वारा आराजी मुतदाविया के काश्तकार सौदान,लोकेन्द्र, सुन्दरलाल,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

भगवान सिंह से खरीद किया है व उनसे कब्जा मौके पर प्राप्त किया है। गैर सायलान संख्या 01 ने आराजी मुत0 का 1/4 हिस्सा का 388/1300 यानि कुल रकबा का 97/1300 हिस्सा सुन्दरलाल से तथा 1/4 हिस्सा का 276/325 हिस्सा यानि कुल रकबा का 69/1300 हिस्सा भगवान सिंह से जरिये बयनामा क्रय किया है और इसी अनुरूप मौके पर काबिज जायदाद है तथा गैर सायलान सं. 2 ने आराजी मुत0 के खातेदार सुन्दरलाल से 1/4 हिस्से का 1072/1625 हिस्सा यानि कुल रकबा का 268/1625 जरिये बयनामा खरीद किया है और इसी अनुरूप वह आराजी मुत0 पर काबिज जायदाद है,बयनामा गैर सायलान संख्या 01 व 02 की पत्नियों के नाम है जिन्हें प्रकरण हाजा में पक्षकार नहीं बनाया गया है। सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यों के विपरीत होने से काविले खारिजी के है जिसे खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः–</u> गैर सायलान द्वारा आराजी मुतदाविया के काश्तकार सौदान, लोकेन्द्र, सुन्दरलाल, भगवान सिंह से खरीद किया है व उनसे कब्जा मौके पर प्राप्त किया है। गैर सायलान संख्या 01 ने आराजी मुत0 का 1/4 हिस्सा का 388/1300 यानि कुल रकबा का 97/1300 हिस्सा सुन्दरलाल से तथा 1/4 हिस्सा का 276/325 हिस्सा यानि कुल रकबा का 69/1300 हिस्सा भगवान सिंह से जरिये बयनामा क्रय किया है और इसी अनुरूप मौके पर काबिज जायदाद है तथा गैर सायलान सं. 2 ने आराजी मुत0 के खातेदार सुन्दरलाल से 1/4 हिस्से का 1072/1625 हिस्सा यानि कुल रकबा का 268/1625 जरिये बयनामा खरीद किया है और इसी अनुरूप वह आराजी मुत0 पर काबिज जायदाद है,बयनामा गैर सायलान संख्या 01 व 02 की पत्नियों के नाम है जिन्हें प्रकरण हाजा में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

<u>सुविधा का संतुलनः–</u> गैर सायलान द्वारा आराजी मुतदाविया के काश्तकार सौदान, लोकेन्द्र, सुन्दरलाल, भगवान सिंह से खरीद किया है व उनसे कब्जा मौके पर प्राप्त किया है। गैर सायलान संख्या 01 ने आराजी मुत0 का 1/4 हिस्सा का 388/1300 यानि कुल रकबा का 97/1300 हिस्सा सुन्दरलाल से तथा 1/4 हिस्सा का 276/325 हिस्सा यानि कुल रकबा का 69/1300 हिस्सा भगवान सिंह से जरिये बयनामा क्रय किया है और इसी अनुरूप मौके पर काबिज जायदाद है तथा गैर सायलान सं. 2 ने आराजी मुत0 के खातेदार सुन्दरलाल से 1/4 हिस्से का 1072/1625 हिस्सा यानि कुल रकबा का 268/1625 जरिये बयनामा खरीद किया है और इसी अनुरूप वह आराजी मुत0 पर काबिज जायदाद है,बयनामा गैर सायलान संख्या 01 व 02 की पत्नियों के नाम है जिन्हें प्रकरण हाजा में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है तथा वर्णित आराजी मुत0 1/4 हिस्से पर गैर सायलान

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 3 का कब्जा है जिसे गैर सायलान संख्या 3 ने लोकेन्द्र व सौदान से जरिये विक्रय पत्र खरीदा है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में न होकर गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

अपूर्तिनीय क्षतिः– गैर सायलान द्वारा आराजी मुतदाविया के काश्तकार सौदान, लोकेन्द्र, सुन्दरलाल, भगवान सिंह से खरीद किया है व उनसे कब्जा मौके पर प्राप्त किया है। गैर सायलान संख्या 01 ने आराजी मुत0 का 1/4 हिस्सा का 388/1300 यानि कुल रकबा का 97/1300 हिस्सा सुन्दरलाल से तथा 1/4 हिस्सा का 276/325 हिस्सा यानि कुल रकबा का 69/1300 हिस्सा भगवान सिंह से जरिये बयनामा क्रय किया है और इसी अनुरूप मौके पर काबिज जायदाद है तथा गैर सायलान सं. 2 ने आराजी मुत0 के खातेदार सुन्दरलाल से 1/4 हिस्से का 1072/1625 हिस्सा यानि कुल रकबा का 268/1625 जरिये बयनामा खरीद किया है और इसी अनुरूप वह आराजी मुत0 पर काबिज जायदाद है,बयनामा गैर सायलान संख्या 01 व 02 की पत्नियों के नाम है जिन्हें प्रकरण हाजा में पक्षकार भी नहीं बनाया गया है तथा वर्णित आराजी मुत0 1/4 हिस्से पर गैर सायलान संख्या 3 का कब्जा है जिसे गैर सायलान संख्या 3 ने लोकेन्द्र व सौदान से जरिये विक्रय पत्र खरीदा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, वकील उभय पक्षकारान की बहस अनुसार प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति गैर सायलान के पक्ष में बखूबी प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायलान के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य से सावित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner